



आर.ई.ओ. -124

जोधपुर
विद्युत वितरण
निगम लि०

(राजस्थान सरकार का उपक्रम)

न्यू पावर हाऊस, इण्डस्ट्रीयल ऐरिया, जोधपुर-342 003 फोन नं. 0291 2651224, (का) फॉक्स नं० 2651227


क्रमांक:- प्रगि/जोडिविगिलि/अनु-पीपीएम/पत्रा० /प्रे०सं० 1002 जोधपुर, दिनांक 25/7/06

आदेश

विषय :- राज्य सरकार द्वारा कृषि भूमि अवाप्त करने पर उस कृषक द्वारा कृषि भूमि अन्य पंचायत समिति में खरीदने पर कृषि कनेक्शन शिफ्ट करने बाबत।

समन्वय समिति की दिनांक 23 जून 2006 को आयोजित 95 वीं बैठक में निर्णय लिया गया है कि कृषक की कृषि भूमि का राज्य सरकार द्वारा अधिग्रहण किये जाने पर उस कृषक द्वारा किसी अन्य पंचायत समिति में कृषि भूमि खरीदने पर कृषि कनेक्शन स्थानान्तरित कर दिया जाय तथा इस हेतु कृषि भूमि की न्यूनतम स्वामित्व समय सीमा का बन्धन नहीं लगाया जावे।

यह आदेश तुरन्त प्रभाव से लागू होगा।


[एम.एल.त्रिपाठी]
अधीक्षण अभियन्ता (पी.पी.एण्ड.एम)
जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर।